सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांक–780/शो0अनु0/सि0वि0वि0/2023 दिनांक– 07/11/2023

अनुस्मारक–पत्र

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय– विभागीय शोध समिति गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ मे समस्त सम्बन्धित विषयों की विभागीय शोध समिति वि0वि0 के पत्र सं0–745/शो0अनु0/सि0वि0वि0/2023 दिनांक–18 10 2023 के सापेक्ष दिनांक–27.10.2023 तक गठित कर सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक कतिपय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सूचना अभी तक प्रेषित नही की गई, तद्क्रम मे मा0 कुलपति जी के निर्देश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न पी0एच0डी0 गाइडलाइन नियमावली–2023 के आधार पर निम्नानुसार संकायों के समस्त सम्बन्धित विषयो की विभागीय शोध समिति **दिनांक–20.11.2023** तक गठित करने का कष्ट करें, जिससे पी0एच0डी0 प्रवेश प्रक्रिया को यथाशीघ्र आगे बढाया जा सके।

- विभागाध्यक्ष/केन्द्र समन्वयक –अध्यक्ष
- विश्वविद्यालय मे सम्बन्धित विभाग के समस्त आचार्य –सदस्य
- वरिष्ठता एवं चकानुक्रम से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्रत्येक दो वर्ष के लिये एक आचार्य – सदस्य
- वरिष्ठता एवं चकानुक्रम से प्रत्येक दो वर्ष के लिये विश्वविद्यालय के विभाग से एक सहयुक्त आचार्य – सदस्य
- वरिष्ठता एवं चकानुक्रम से प्रत्येक दो वर्ष के लिये विश्वविद्यालय के विभाग से दो सहायक आचार्य – सदस्य
- सम्बन्धित पी0एच0डी0 शोधार्थी के निर्देशक/सह–निर्देशक (यदि कोई हो) – आमन्त्रित सदस्य

महाविद्यालय अथवा विभाग में, जहाँ तीन शिक्षकों से कम हों, अथवा केन्द्र/विभाग स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यक्रम न संचालित करता हो, वहाँ सम्बन्धित संकाय के विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता विभागीय शोध समिति के अध्यक्ष होंगे। वह केन्द्र/विभाग के शोध क्षेत्र से निकटता रखने वाले विभागों से चार वरिष्ठ शिक्षकों (आचार्य एवं सहयुक्त आचार्य को वरीयता देते हुए) को नामित करेंगे।

आमन्त्रित सदस्यों को बैठक में मतदान का अधिकार नही होगा।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

समिति का कोरम अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव को मिलाकर 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा।

किसी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक शुल्क देय नहीं होगा।

विभागीय शोध समिति के अपने विभाग से सम्बन्धित निम्नालिखित उत्तर दायित्व होंगे–

1 विभागीय शोध समिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पी0एच0डी0 कार्यक्रम में पंजीकृत होने वाले शोधार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने, उन्हे निर्देशकों/सह–निर्देशकों का आवटन करने, शोध पर्यवेक्षकों को मान्यता एवं अनुमोदन देने तथा विभाग/अनुशासन मे पी0एच0डी0 प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी मामले के लिये उत्तरदायी होगी।

2. छात्र शोध समिति प्रत्येक शोधार्थी की छमाही प्रगति रिपोर्ट, आवधिक समीक्षा तथा सहायता की एक प्रति विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

3. विभागीय शोध समिति प्रत्येक शोधार्थी की छमाही रिपोर्ट की प्रति अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के माध्यम से पी0एच0डी0 अनुभाग (अकादमिक अनुभाग) को भेजेगी।

07.11.23
(कुलसचिव)

पत्रांक–788/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति के निजी सचिव को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समन्वयक, शोध पात्रता परीक्षा–2023, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. समस्त संकायाध्यक्षों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. सम्बन्धित फाइल में संरक्षित करने हेतु।

(कुलसचिव)